कार्यालय :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची
वन भवन, डोरण्डा, राँची
E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : 01/यो0ब0–45 खंड–3/2015– 751 दिनांक : 14.06.2018

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग/ चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/ रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/ गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा/ मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/ देवघर वन प्रमंडल, देवघर/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) के लिए कुल **रू0 136.078 लाख (एक करोड छत्तीस लाख सात हजार आठ सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– वन विभागिय स्वीकृत्यादेश सं0 पत्रांक 4/यो0बजट–72/2015–66/स्वी0 व0प0 दिनांक–08.03.2017 एवं आवंटन आदेश सं0 04/यो0बजट – 72/2015–26/आ0 दिनांक 26.04.2018।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406– वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 789 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–59–अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **136.078 लाख (एक करोड छत्तीस लाख सात हजार आठ सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789590103	108.464
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789590323	27.614
कुल :–		**136.078**

D:\2018-19\Development\Sub-Allotment\RSP\SCSP\SO - 66 Dt. 8.3.17\RSP SCSP.doc

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक**–3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या– 19S240601789590103 तथा 19S240601789590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा, कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जाएगा तथा एतद् संबंधी–पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम संख्या–174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरुप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

17. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–45 खंड–3/2015–751** दिनांक– **14.06.2018**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–45 खंड–3/2015–751** दिनांक– **14.06.2018**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/कोषागार पदाधिकारी, चतरा/ कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा/कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/कोषागार पदाधिकारी, रामगढ़/ कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/ कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर, पलामू/ कोषागार पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जानेवाली अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण (पुराना नाम पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य,

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य गैबियन संख्या में	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			272.99	69.50	342.49
i	ii	iii	iv	v	vi
1	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	2481	6.773	1.724	8.497
2	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	2481	6.773	1.724	8.497
3	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	2111	5.763	1.467	7.230
4	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	2111	5.763	1.467	7.230
5	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	2111	5.763	1.467	7.230
6	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	2481	6.773	1.724	8.497
7	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	2481	6.773	1.724	8.497
8	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	2481	6.773	1.724	8.497
9	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	2481	6.773	1.724	8.497
10	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	2592	7.076	1.801	8.877
11	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	1170	3.194	0.813	4.007
12	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	1556	4.248	1.081	5.329
13	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	2259	6.166	1.571	7.737
14	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	2259	6.166	1.571	7.737
15	सा0वा0 प्रमण्डल, देवघर	2259	6.166	1.571	7.737
16	सा0वा0 प्रमण्डल, हजारीबाग	2259	6.167	1.570	7.737
17	सा0वा0 प्रमण्डल, कोडरमा	2259	6.167	1.570	7.737
18	सा0वा0 प्रमण्डल, गढ़वा	1900	5.187	1.321	6.508
	योग :–	**39732**	**108.464**	**27.614**	**136.078**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\2018-19\Development\Sub-Allotment\RSP\SCSP\SO - 66 Dt. 8.3.17\RSP SCSP

अनुलग्नक–2

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)

पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस –गैबियन में वृक्षारोपन

1. बाँस–गैबियन का आकारः 6'-6"x2'-6"x2'-6" 2. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0

3. मजदूरी दर : रू0 237.38 प्रति मानव दिवस – पौधे से पौधे की दूरी – 8 मी0

क्र0 सं0	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस (प्रति हे0)	मजदूरी, (रू0)	सामग्री प्रति हे0	कुल व्यय (रू0)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(D)	वित्तीय वर्ष 2018–19 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव		0.15	35.61	4.50	**40.11**	
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)		0.50	118.69	5.00	**123.69**	
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा		0.50	118.69	60.00	**178.69**	
	योग		**1.15**	**272.99**	**69.50**	**342.49**	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-45/15/751

दिनांक - 14-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34439	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICEI EAST	677,300.00 रुपये छः लाख सित्योत्तर हजार तीन सौ
2	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34440	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	677,300.00 रुपये छः लाख सित्योत्तर हजार तीन सौ
3	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34441	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	576,300.00 रुपये पाँच लाख छहत्तर हजार तीन सौ

योग: 1,930,900.00

क्रमिक योग: रुपये उन्नीस लाख तीस हजार नौ सौ

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.DEVELOPMENT(HoFF)RANCHI

59.97.146.102

Run Date: 14/6/2018

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34442	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	576,300.00 रुपये पॉच लाख छहत्तर हजार तीन सौ
5	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34443	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	576,300.00 रुपये पॉच लाख छहत्तर हजार तीन सौ
6	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34444	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	677,300.00 रुपये छः लाख सित्योत्तर हजार तीन सौ

योग: 1,829,900.00

क्रमिक योग: रुपये सैतीस लाख साहठ हजार आठ सौ 3,760,800.00

(SHRI SATNAM SINGH BADHAWAN(IFS))

PCCF.DE RANCHI

 59.97.146.102 Run Date: 14/6/2018

पत्र संख्या - 01/YB-45/15/751 दिनांक - 14-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34445	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	677,300.00 रुपये छः लाख सित्योत्तर हजार तीन सौ
8	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के वाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34446	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	677,300.00 रुपये छः लाख सित्योत्तर हजार तीन सौ
9	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के वाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34447	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	677,300.00 रुपये छः लाख सित्योत्तर हजार तीन सौ

योग: 2,031,900.00

क्रमिक योग: रुपये सत्तावन लाख बयानवे हजार सात सौ 5,792,700.00

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.DEBADHAN(IFS)RANCHI

 59.97.146.102 Run Date: 14/6/2018

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34448	GRDFOR003 SRI SATYAM KUMAR D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	707,600.00 रुपये सात लाख सात हजार छः सौ
11	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34450	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	319,400.00 रुपये तीन लाख उन्नीस हजार चार सौ
12	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34451	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	424,800.00 रुपये चार लाख चौइस हजार आठ सौ

योग: 1,451,800.00

क्रमिक योग: रुपये बहत्तर लाख चवालीस हजार पॉच सौ 7,244,500.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.D(BADHARKHAND)RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-45/15/751 दिनांक - 14-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34452	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	616,600.00 रुपये छः लाख सोलह हजार छः सौ
14	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के वाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34453	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	616,600.00 रुपये छः लाख सोलह हजार छः सौ
15	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34454	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	616,600.00 रुपये छः लाख सोलह हजार छः सौ

योग: 1,849,800.00

क्रमिक योग: रुपये नब्बे लाख चौरानवे हजार तीन सौ 9,094,300.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.DEVELOPMENT RANCHI

 59.97.146.102 Run Date: 14/6/2018

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34455	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	616,700.00 रुपये छः लाख सोलह हजार सात सौ
17	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34456	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	616,700.00 रुपये छः लाख सोलह हजार सात सौ
18	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34457	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	518,700.00 रुपये पाँच लाख अठारह हजार सात सौ

योग: 1,752,100.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड आठ लाख छयालीस हजार चार सौ 10,846,400.00

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.DEV.(HAKKAL IFS)RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-45/15/751 दिनांक - 14-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34458	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	172,400.00 रुपये एक लाख बहत्तर हजार चार सौ
20	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34459	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	172,400.00 रुपये एक लाख बहत्तर हजार चार सौ
21	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34460	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	146,700.00 रुपये एक लाख छयालीस हजार सात सौ

योग: 491,500.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड तेरह लाख सैतीस हजार नौ सौ 11,337,900.00

(SHRI SATNAM SINGH BADHAWAN IFS)

PCCF.DE[illegible]RANCHI

 59.97.146.102 Run Date: 14/6/2018

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34461	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	146,700.00 रुपये एक लाख छयालीस हजार सात सौ
23	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34462	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	146,700.00 रुपये एक लाख छयालीस हजार सात सौ
24	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34463	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	172,400.00 रुपये एक लाख बहत्तर हजार चार सौ

योग: 465,800.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड अठारह लाख तीन हजार सात सौ 11,803,700.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.DEV.(JHARKHAND)RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-45/15/751 दिनांक - 14-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34465	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	172,400.00 रुपये एक लाख बहत्तर हजार चार सौ
26	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34466	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	172,400.00 रुपये एक लाख बहत्तर हजार चार सौ
27	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34467	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	172,400.00 रुपये एक लाख बहत्तर हजार चार सौ

योग: 517,200.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड तेइस लाख बीस हजार नौ सौ 12,320,900.00

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.DEV(JHARKHAND)RANCHI

 59.97.146.102 Run Date: 14/6/2018

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34468	GRDFOR003 SRI SATYAM KUMAR D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	180,100.00 रुपये एक लाख अस्सी हजार एक सौ
29	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34470	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	81,300.00 रुपये इक्कयासी हजार तीन सौ
30	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34471	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	108,100.00 रुपये एक लाख आठ हजार एक सौ

योग: 369,500.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड छब्बीस लाख नब्बे हजार चार सौ 12,690,400.00

(SHRI SATNAM SINGH BADHAWAN IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-45/15/751 दिनांक - 14-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34472	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR.OREST.DIV.	157,100.00 रुपये एक लाख सत्तावन हजार एक सौ
32	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34473	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO FOR.DIV.DEO.	157,100.00 रुपये एक लाख सत्तावन हजार एक सौ
33	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34475	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	157,100.00 रुपये एक लाख सत्तावन हजार एक सौ

योग: 471,300.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड इकतीस लाख इकसठ हजार सात सौ 13,161,700.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.DEV.(HARKHAND)RANCHI

 59.97.146.102 Run Date: 14/6/2018

पत्र संख्या - 01/YB-45/15/751 दिनांक - 14-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34476	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	157,000.00 रुपये एक लाख सत्तावन हजार
35	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34478	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.FO (S.F.) KODERMA	157,000.00 रुपये एक लाख सत्तावन हजार
36	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34479	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	132,100.00 रुपये एक लाख बत्तीस हजार एक सौ

योग: 446,100.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड छत्तीस लाख सात हजार आठ सौ 13,607,800.00

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.DBADHARKHANFS)RANCHI

 59.97.146.102 Run Date: 14/6/2018